IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–पंचम

नीलगिरी काम्पलेक्स,इन्दिरा नगर,

लखनऊ–226016

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

पत्र सं0– 2974/नि0प्रा0 –54 /2016–17/वा0नि0–5 **दिनांक 13 –10–2017**

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अन्तर्गत निर्माण अनुज्ञा

स्वीकृति–पत्र

सेवा में,

डायरेक्टर/अधीकृत हस्ताक्षरी

द्वारा श्री सुनील मिगलानी,

मैसर्स महालक्ष्मी बिल्डटैक कर्न्सोशियम प्रा0लि0,

के0जे0–2,कवि नगर,गाजियाबाद–201001

विषयः ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सख्या–14/काम0–01, वसुन्धरा योजना, गाजियाबाद निर्माण हेतु उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित कय योग्य एफ0ए0आर0 सहित निर्माण मानचित्र स्वीकृत/निर्गत करने के सम्बंध में।

महोदय,

आपके उपर्युक्त विषयक आवेदन के कम में प्रश्नगत भूखण्ड सख्या–14/काम0–01,वसुन्धरा योजना गाजियाबाद के मानचित्र स्वीकृति हेतु प्रकरण को परीक्षणोपरान्त आवास आयुक्त (म0) की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 01–09–2017 में प्रस्तुत किया गया था, **जिसपर कय योग्य एफ0ए0आर0 समिति द्वारा भूखण्ड पर निम्न शर्तों सहित कय योग्य एफ0ए0आर0 अनुमन्य करने की संस्तुति की गयी :–**

1. समिति द्वारा भूखण्ड पर बेसिक एफ0ए0आर0 का 50 प्रतिशत कय योग्य एफ0ए0आर0 (ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी0 श्रेणी के भवनों के निर्माण सहित) 3.75 एफ0ए0आर0 अनुमन्य किये जाने की संस्तुति सहित प्रस्ताव के अनुसार निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथासंशोधित–2016) के अनुसार ग्रीन बिल्डिंग हेतु 05 प्रतिशत अतिरिक्त एफ0ए0आर0 भूखण्ड पर अनुमन्य किया जाय।
2. कय योग्य एफ0ए0आर0 के निर्माण के सापेक्ष इन्फ्रास्ट्रचर सर्विसेज हेतु विकासकर्ता द्वारा यांत्रिक एस0टी0पी0 की व्यवस्था व जलापूर्ति हेतु रिजर्व ग्राउण्ड वाटर (बोर वेल की व्यवस्था) व विद्युत आपूर्ति हेतु भूखण्ड में स्टेपडाउन ट्रान्सफार्मर स्वयं स्थापित किये जाने की शर्त सहित कय योग्य एफ0ए0आर0 भूखण्ड पर अनुमन्य किया गया है।
3. प्रकरण में क्षेत्र से सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–16 व विद्युत खण्ड–2 गाजियाबाद द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार क्षेत्र का इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विसेज के संम्वर्धन के लिए प्रस्ताव पृथक से अधीक्षण अभियन्ता सप्तम वृत्त,गाजियाबाद को प्रस्तुत किया जायेगा। जिसके संम्वर्धन के लिए वित्तीय भार, कय योग्य एफ0ए0आर0 शुल्क के मद से व्यय से समायोजित किया जाना है।
4. शासनादेश संख्या–3188 दिनांक–5–12–2013 के अनुसार भूखण्ड पर निर्मित किये जा रहे 10–10 प्रतिशत ई0डब्लू0एस0 व एल0आई0जी0 भवनों के निर्माण के उपरान्त उनका आवंटन शासनादेश संख्या–01/2418/आठ–1–14–80 विविध/10 दिनांक 26, अगस्त 2014 के अनुसार गठित समिति की संस्तुति के आधार पर किया जायेगा।

एफ0ए0आर0 समिति की संस्तुतियों के कम में दिनांक 1–9–2017 को ही प्रकरण आवास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में मानचित्र स्वीकृति हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसमें गठित समिति द्वारा मानचित्र स्वीकृति के प्रकरण पर निम्न निर्णय लिया गया :–

1. समिति द्वारा भूखण्ड पर बेसिक एफ0ए0आर0 का 50 प्रतिशत कय योग्य एफ0ए0आर0 (ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी0 श्रेणी के भवनों के निर्माण सहित) 3.75 एफ0ए0आर0 अनुमन्य करते हुए मानचित्र स्वीकृति की संस्तुति की गयी जिसमें उपविधि–2008 यथासंशोधित 2016 के अनुसार ग्रीन बिल्डिंग हेतु 05 प्रतिशत अतिरिक्त एफ0ए0आर0 सहित मानचित्र का अनुमोदन किया गया है।
2. शासनादेशों के अनुसार कय योग्य एफ0ए0आर0 समिति की संस्तुतियों के कम में सम्बंधित शर्तों का अनुपालन मानचित्र स्वीकृति के सापेक्ष स्थल पर कियान्वित किया जायेगा।
3. प्रदूषण नियंत्रण, एवं पर्यावरण विभाग की एन0ओ0सी0 प्राप्त करने हेतु स्वीकृत मानचित्र की आवश्यकता के दृष्टिगत 06 माह का समय देते हुए सशर्त मानचित्र स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुमोदन किया गया। मानचित्र निर्गत करने से पूर्व खनन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवंटी को प्रस्तुत करना होगा।

13/10/17

4. मानचित्र स्वीकृति के मद में देय अवशेष धनराशि रू0–26,53,300.00 एवं क्रय योग्य एफ0ए0आर0 शुल्क के रूप में रू0–6,37,05,472.00 परिषद खाते में जमा होने की पुष्टि व अद्यावधिक भुगतान का प्रमाण पत्र सम्पत्ति प्रबंध गाजियाबाद से प्राप्त होने के उपरान्त मानचित्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जाये।

5. प्रश्नगत भूखण्ड पर भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2008 (यथा संशोधित 2016) के अनुसार उच्च स्तरीय समिति द्वारा स्वीकृति योग्य पाये गये क्रय योग्य एफ0ए0आर0 सहित अनुमोदित मानचित्र उक्तानुसार औपचारिकतायें/ एन0ओ0सी0 व देय शुल्क आदि प्राप्त होने की दशा में स्वीकृत मानचित्र निर्गत करने सम्बंधी अग्रिम कार्यवाही वास्तुविद नियोजक इकाई–पंचम के द्वारा की जाय।

गठित समिति के उक्त निर्णय के अनुपालन में निर्गत मांग–पत्र संख्या–2667/नि0प्रा0–54 दिनांक 8–9–2017 के क्रम में क्रय योग्य एफ0ए0आर0 शुल्क की 75 प्रतिशत धनराशि को किश्तों में अनुमन्य करने सम्बंधी आवास आयुक्त (म0) को प्रस्तुत आपके प्रत्यावेदन दिनांक 15–9–2017 पर विचार विमर्श के उपरान्त निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत मानचित्र निर्गत किये जाने का निर्णय आवास आयुक्त महोदय द्वारा दिनांक 7–10–2017 को लिया गया हैः–

क–प्रश्नगत ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड सं0–14/काम0–1,वसुन्धरा गाजियाबाद में 25 प्रतिशत क्रय योग्य एफ0ए0आर0 शुल्क जमा होने की पुष्टि के फलस्वरूप अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि रू0–4,77,79,104/–को शासनादेश के अनुसार दो वर्ष की 08 त्रैमासिक किश्तें (मय ब्याज) अनुमन्य करते हुए 75 प्रतिशत धनराशि के मूल्य के सापेक्ष भूमि/फ्लेट/क्षेत्रफल सम्पत्ति प्रबन्ध गाजियाबाद द्वारा पंजीकृत बन्धक–पत्र निष्पादित कर वास्तुविद नियोजक कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके अनुसार मानचित्रों पर उसके सापेक्ष फ्लैट/भूमि क्षेत्रफल को लाल रंग से बन्धक दर्शाते हुए मानचित्र, वास्तुविद नियोजक द्वारा जारी किया जाये।

ख–जिला खनन अधिकारी, गाजियाबाद के पत्रांक 642/खनन/दिनांक 15–9–2017 पर विचारोपरान्त इस शर्त सहित मानचित्र निर्गत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाय कि आवंटी द्वारा विलम्बतम एक माह के अन्दर खनन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर परिषद में प्रस्तुत करने के उपरान्त तथा सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता को सूचित करने के बाद ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाये।

उक्तानुसार प्रदत्त अनुमोदन के क्रम में एतद्द्वारा निम्न शर्तों के अधीन भूखण्ड पर क्रय योग्य एफ0ए0आर0 सहित निर्माण हेतु स्वीकृत मानचित्र निर्गत किया जा रहा है :–

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर ही किया जाना होगा। वर्तमान में स्थल पर निर्माण/क्रियान्वयन तकनीकी समिति की बैठक दिनांक 01–9–2017 व दिनांक 07–10–2017 के अनुमोदन के क्रम में किया जाएगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की कुल वैधता अवधि 05 वर्ष की होगी। (दिनांक 13–10–2017 से 12–10–2022 तक)।
3. निर्माण स्वीकृत मानचित्र में लाल रंग से अंकित संशोधनों सहित मान्य होगा। यदि उक्त समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध,गाजियाबाद से समयवृद्धि प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
4. यह स्वीकृति भूखण्ड के कुल आच्छादित निर्माण क्षेत्रफल 48406.48 व0मी0 हेतु 3.75 एफ0ए0आर0 के अन्तर्गत (जिसमें कम्पनसेट्री एफ0ए0आर0, सर्विसेज एण्ड फैसिलिटी एरिया व नान एफ0ए0आर0 एरिया सम्मिलित है) 6527.20 वर्ग मीटर के भूखण्ड क्षेत्रफल पर प्रदान की गयी है। डबल बेसमेंन्ट में पार्किग प्रस्तावित होने के कारण उसका क्षेत्रफल एफ0ए0आर0 में आंगणित नही किया गया है।
5. क्रय योग्य एफ0ए0आर0 शुल्क के मद में 25 प्रतिशत धनराशि जमा करने के उपरान्त अवशेष 75 प्रतिशत धनराशि की किश्तें निर्धारित करने सम्बंधी आवास आयुक्त (म0) के निर्णय के क्रम अवशेष धनराशि के सापेक्ष फ्लैट/भूमि का क्षेत्रफल बन्धक रखते हुए बन्धक पत्र हेतु सम्पत्ति प्रबंध को प्रेषित पत्रांक 2951 दिनांक 10–10–2017 के क्रम में सम्पत्ति प्रबंधक गाजियाबाद के पत्र संख्या–10419/स0प्र0गा0 दिनांक 12–10–2017 द्वारा बन्धक पत्र निष्पादित करते हुए मूलरूप में इस कार्यालय को प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार बन्धक भूमि/क्षेत्रफल को स्वीकृत मानचित्र (शीट संख्या–01) पर लाल रंग से बन्धक दर्शाया गया है। बन्धक पत्र के अनुसार निर्धारित 08 त्रैमासिक किश्तों का भुगतान प्राप्त होने के उपरान्त सम्पत्ति प्रबंध से पुष्टि के उपरान्त उक्त बन्धक फ्लेट्स/भूमि–क्षेत्रफल को तद्नुसार सक्षम स्तर से अनुमति उपरान्त बन्धकमुक्त कर दिया जायेगा।
6. प्रश्नगत भूखण्ड पर 3.75 एफ0ए0आर0 के अन्तर्गत मानचित्र स्वीकृति सम्बंधी समिति के अनुमोदन के क्रम में वर्तमान में डबल बेसमेन्ट+स्टिल्ट/भूतल+32 तलों के निर्माण के अन्तर्गत कुल 345 नग इकाईयों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जिसके साथ ही शासनादेश सं0–3188/8–1–13–80 विविध/2010 दिनांक 05–12–2013 के अनुसार 10 प्रतिशत ई0डब्लू0एस0 के अनुसार 33 इकाईयॉ व 10 प्रतिशत अल्प आय वर्ग हेतु के सापेक्ष 33 नग इकाईयों का निर्माण सुनिश्चित होने की दशा में कम्पेन्सेट्री एफ0ए0आर0 के सापेक्ष निर्माण को स्थल पर शासनादेश के अनुसार कालान्तर में पुष्टि होने के उपरान्त ही अनुमन्य किया जा सकेगा।

IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई–पंचम
नीलगिरी काम्पलेक्स,इन्दिरा नगर,
लखनऊ–226016

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700
मानक: पथप्रदर्शक: Bureau of Indian Standards SQMS

पत्र सं0– 2974/नि0प्रा0 –54 /2016–17/वा0नि0–5 दिनांक 13–10–2017

7. शासनादेश संख्या–3267/8–1–16–80 विविध/10 दिनांक 24–10–2016 के प्रस्तर–2 (iv) (आ0) के अनुसार ई0डब्लू0एस0 एवं एल0आई0जी0 के भवन निर्माण के सापेक्ष देय बैंक गारन्टी के स्थान पर विकासकर्ता द्वारा परफार्मेन्स गारण्टी के रूप में योजना के कुल क्षेत्रफल का 10 प्रतिशत भूमि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद के पक्ष में बन्धक रखी जानी प्रस्तावित है जो ले–आउट/मानचित्र में 430.7952 व0मी0 (ए,बी,सी,डी) लाल रंग से चिन्हांकित कर दी गयी है। बन्धक रखी गयी भूमि पर विकास एवं निर्माण कार्य करने की अनुमति होगी ताकि विकासकर्ता द्वारा योजना के समस्त विकास एवं निर्माण कार्य एकीकृत एवं समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने सुनिश्चित हो सकें, जिसके लिए बन्धक पत्र निष्पादन की कार्यवाही खण्ड कार्यालय द्वारा पृथक से सुनिश्चित की जायेगी अन्यथा की स्थिति में शासनादेश के अनुसार सेल्टर फीस देय होगी।
8. शासनादेश के अनुसार स्थल पर ई0डब्लू0एस0 व एल0आई0जी0 भवनों का निर्माण सुनिश्चित किये जाने की दशा में ही इसके सापेक्ष कम्पनसेट्री एफ0ए0आर0 मानचित्र के अनुसार निर्माण किया जायेगा। उक्त ई0डब्लू0एस0 व एल0आई0जी0 भवनों निर्माण के सापेक्ष परफार्मेन्श गारण्टी हेतु अनुबन्ध सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता द्वारा (निर्धारित प्रारूप पर के अनुसार) निष्पादित किया जायेगा। स्थल पर ई0डब्लू0एस0 व एल0आई0जी0 श्रेणी के उक्त भवन निर्मित हो जाने के पर पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत होने के उपरान्त आवंटन शासन द्वारा गठित समिति के माध्यम से निर्धारित शर्तो के अधीन तत्समय किया जायेगा।
9. शासनादेश संख्या–3188 दिनांक–5–12–2013 के अनुसार भूखण्ड पर निर्मित किये जा रहे 10–10 प्रतिशत ई0डब्लू0एस0 व एल0आई0जी0 भवनों के निर्माण के उपरान्त उनका आवंटन शासनादेश संख्या–01/2418/आठ–1–14–80 विविध/10 दिनांक 26, अगस्त 2014 के अनुसार गठित समिति की संस्तुति के आधार पर किया जायेगा।
10. संयुक्त निदेशक, उ0प्र0 फायर सर्विसेज लखनऊ के पत्रांक–81/जे0डी0/फा0स0/लख0–17 (गाजि0)/198 दिनांक 11–05–2017 के द्वारा प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत की गयी है, की शर्तो का अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य है तथा भवन के निर्माण के पश्चात तथा उपयोग से पूर्व अग्निशमन विभाग से पुनः अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
11. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्प्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके।
12. प्रस्तावित निर्माण हेतु नियमानुसार आंगणित मलवा संचय शुल्क में किसी प्रकार की छूट अनुमन्य नहीं की गयी है जिसके फलस्वरूप मलवा शुल्क परिषद खाते किये जाने की पुष्टि परिषद अभिलेखों में अंकित है।
13. शासनादेश के अनुसार कम से कम 50 पेड़/हैक्टे0 की दर से वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
14. भूकम्परोधी निर्माण हेतु शासनादेश सं0 570–9–आ–12001 (भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक–3.2.2001 एवं सं0 3751/9–आ0–भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक 20.7.2001 के अन्तर्गत शर्ते, एक मानचित्र के पृष्ठ भाग पर चस्पा की गयी है। जिनका अनुसरण प्रत्येक दशा में करना होगा।
15. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के वास्तुविदीय प्राविधानों के अन्तर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है तथा अग्निशमन/सुरक्षा सम्बंधी अन्य समस्त प्राविधानों को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा।
16. प्रश्नगत परियोजना के निर्माण, विकास एवं अनुरक्षण कार्यो को विकासकर्ता द्वारा सुनिश्चित किया जाये। जिसके सम्बंध में शासन द्वारा भविष्य में प्राप्त निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
17. उपविधि–2008 (यथा संशोधित–2016) के प्रस्तर 3.11.9 के अनुसार रूफटॉप पर स्वीकृत मानचित्र के अनुसार सोलर फोटोवोल्टाईक पावर प्लान्ट की स्थापना भवन के कुर्सी क्षेत्रफल के न्यूनतम 25 प्रतिशत रूफटॉप एरिया पर विकासकर्ता द्वारा अनिवार्य रूप से की जायेगी, शासनादेश के अनुसार रेनवाटर हार्वेस्टिंग का प्राविधान स्थल पर अनिवार्य रूप से करना होगा।
18. प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्माण के सापेक्ष हिण्डन एअरपोर्ट, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण से वांछित एन0ओ0सी0 विलम्बतम 06 माह के अन्दर प्राप्त कर प्रस्तुत करनी आवश्यक है।
19. प्रश्नगत भूखण्ड पर बेसमेन्ट्स के निर्माण हेतु वांछित खनन विभाग की एन0ओ0सी0 एक माह के अन्दर प्राप्त कर सम्बंधित खण्ड एवं इस कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे, जिसके उपरान्त ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाना है।

20. प्रश्नगत प्रकरण में विकासकर्ता/सम्बंधित आवंटी को शासनादेशों, परिषद आदेशों, भवन निर्माण एवं विकास उपविधि, नेशनल बिल्डिंग कोड एवं अन्य सम्बंधित नीतिगत निर्णयों का शत प्रतिशत पालन किया जाना होगा।
21. प्रश्नगत भूखण्ड के सापेक्ष अद्यावधिक भुगतान सम्बंधी प्रमाण पत्र उप आवास आयुक्त, सम्पत्ति प्रबंध गाजियाबाद द्वारा अपने पत्रांक-9699/स0प्र0गा0/दिनांक-4-9-2017 द्वारा निर्गत किया गया है अवशेष किश्तों का भुगतान सम्पत्ति प्रबंध को समयान्तर्गत किया जाना होगा।
22. शासनादेश के अनुसार प्रश्नगत भूखण्ड पर प्रस्तावित निर्माण के सापेक्ष भवन निर्माण और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा की शर्ते) अधिनियम-1996 की धारा-7 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उप श्रम आयुक्त, गाजियाबाद द्वारा फर्म के सापेक्ष पंजीयन संख्या-डी09002283/2017-18/भ0औ0अ0 सन्नि0कर्म0 दिनांक 14-08-2017 के माध्यम से पंजीयन प्रमाण पत्र निर्गत है। उक्तानुसार निर्माण कार्य के विरूद्ध देय उपकर श्रम कार्यालय में ससमय जमा कराते हुए आदेशों का अनुपालन/कियान्वयन सुनिश्चित किया जाना है।
23. भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त आवंटी द्वारा संलग्न प्रारूप पर पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन किया जायेगा जिसके साथ अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा।
24. भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 यथासंशोधित 2016 के अनुसार ग्रीन बिल्डिंग हेतु 05 प्रतिशत अतिरिक्त एफ0ए0आर0 इस शर्त के अधीन अनुमन्य किया जा रहा है कि उक्त के सापेक्ष ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन नियमानुसार प्राप्त कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा की स्थिति में 05 प्रतिशत एफ0ए0आर0 अनुमन्य नहीं होगा।
25. शासन/परिषद द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

1.स्वीकृत आर्कीटैक्चरल मानचित्रों का 01 सैट(23 नग)।
2.स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स का 01 सैट(16 नग)।
3.स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन रिपोर्ट 01 नग।

भवदीय,
13/10/17

(अजीत कुमार दुबे)
वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

पृ0सं0:- 2974 /उक्त / दिनांक: 13-10-17

प्रतिलिपिः--निम्नलिखित को उक्त अनुमोदन/अंकित शर्तों के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अधीक्षण अभियन्ता-सप्तम वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद को उक्तानुसार अनुमोदित/स्वीकृत मानचित्र का एक सेट सहित।
2. संयुक्त निदेशक,फायर सर्विसेज लखनऊ को उनके अनुमोदन/सत्यापित मानचित्र के कम में प्रपत्र-च सहित।
3. अधिशासी अभियन्ता,निर्माण खण्ड-16,उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वसुन्धरा गाजियाबाद को उक्तानुसार कय योग्य एफ0ए0आर0 के अर्न्तगत स्वीकृत निर्माण मानचित्र का एक सेट इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त अंकित शर्तों के कियान्वयन/अनुपालन स्थल पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
4. सम्पत्ति प्रबंधक,सम्पत्ति प्रबंध,उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद वसुन्धरा गाजियाबाद।
5. उप श्रम आयुक्त-गाजियाबाद क्षेत्र,एच0टी0-11/66 लोहिया नगर, लेबर आफिस,गाजियाबाद को उनके द्वारा निर्गत पंजीयन प्रमाण पत्र दिनांक 14-08-2017 के सन्दर्भ में।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी